कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा. नि. वि. खण्ड झालावाड़

अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड झालावाड़ द्वारा जिला/वनमण्डल झालावाड़ में Extention of Kolana air strip at Jhalawar के निर्माण कार्य में 120.4062 है। वनभूमि के प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव ऑनलाइन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFCP पर प्रस्ताव सं. FP/RJ/OTHERS/21735/2016 पर दिनांक 07.10.2016 को रजिस्टर किया गया है। प्रस्वाव को परीक्षण करने पर निम्नानुसार वस्तुस्थिति सामने आयी है। उक्त प्रस्ताव की कमियो को निम्नानुसार दुरस्त कराकर उन्हे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है :–

क्र.सं.	आक्षेप	आक्षेप का जवाब
1	यूजर ऐजेन्सी द्वारा पूर्व में प्रस्ताव 120.4062 है0 का प्रस्तुत किया गया था जिसे संशोधित कर 110.6962 है0 का कर दिया गया है। लेकिन यूजर ऐजेन्सी द्वारा उक्त प्रस्ताव पुराने अनुसार अग्रिम कार्यवही हेतु निवेदन किया गया है। उक्त प्रस्ताव में से पूर्व प्रस्ताव में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति क्षैत्र 9.71 है0 का कम किया गया है जो उचित नही है गत प्रस्ताव में अभी भी विधिवत स्वीकृति प्राप्त नही हुई है। अतः वर्तमान प्रस्ताव में पुरानी स्वीकृति को सम्मिलित करते हुए ही नवीन प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भिजवाया जावेगा। अतः पुराना क्षैत्र सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	पूर्व में लगाये आक्षेपो में 9.71 है0 के प्रस्ताव जिसकी सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी हो चुकी थी अलग से प्रस्तुत करने के लिए लिखा गया था इसलिए 9.71 है0 कम करके प्रस्ताव संशोधित किये गये थे। अब इसको सम्मिलित कर 120.4062 है0 के प्रस्ताव 9.71 है0 को सम्मिलित कर भिजवाये जा रहे है।
2	प्रस्ताव के बिन्दु संख्या A-1 (iii) में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव के उद्देश्यो का खुलासा पूर्ण रूप से नही किया गया है। इसमें योजना का नाम, पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव के बारे में, किस उद्देश्य बाबत कितनी वन भूमि ली जा रही है पूर्ण उद्देश्य का विवरण लिखा जावे।	आक्षेप का पूर्व में जवाब दिया गया था। वर्तमान में 1700 मी.लम्बाई की हवाई पट्टी बनी हुई है, जिसको 3000 मी. बढाने का प्रस्ताव है। जिसमें 120. 4062 है0 वन भूमि आ रही है।
3	प्रस्ताव के बिन्दु संख्या B-1 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्व में इसी उद्देश्य हेतु वन भूमि 9.71 है0 के प्रस्ताव प्रेषित किये गये है। यूजर ऐजेन्सी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का इसका उल्लेख नही किया गया है जो किया जाना अपेक्षित है।	पूर्व में 9.71 है. वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव भिजवाये गये थे जिसे बिन्दु सं. 1 के अनुसार नये प्रस्तावो में शामिल कर लिया गया है।
4	प्रस्ताव के बिन्दु संख्या B-2.4 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एक ही कम्पोनेंट दिया गया है जबकि इसमें आप द्वारा 6 कम्पोनेट दर्शाये गये है। अतः सम्पूर्ण कम्पोनेट का विवरण अंकित किया जाना अपेक्षित है।	आक्षेप का पूर्व में जवाब दिया गया था। प्रस्ताव के बिन्दु सं. B-2.4 में एक ही कम्पोनेन्ट दिया गया है। जिसमे छः गांवो की जमीन का विवरण दिया गया है जो कि बिनदु संख्या B-2.3 में संलग्न की गई है।
5	प्रस्ताव के बिन्दु संख्या C-b (ii) में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत KML file में वन भूमि एवं गैर वन भूमि का विवरण स्पष्ट नही किया गया है। इसमें वन सीमा भी सीमांकन नही किया गया है। भारत सरकार के निर्देशानुसार KML file polygon shape में आवश्यक संशोधन के साथ पुनः प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है।	आक्षेप का पूर्व में जवाब दिया गया था। KML file में वन भूमि Polygon shape में दर्शायी गयी है एवं वन भूमि एवं गैर वन भूमि का विवरण अंकित कर दिया गया है। वन भूमि का सीमांकन Polygon shape में ही किया हुआ है।

6	प्रस्ताव के बिन्दु संख्या C-b (iii) में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत GT Sheet में वन सीमा का भी सीमांकन तो किया गया है किन्तु वन भूमि एवं गैर वन भूमि का विवरण स्पष्ट नही किया गया है। GT Sheet में आवश्यक संशोधन के साथ पुनः प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।	आक्षेप का पूर्व में जवाब दिया गया था। GT Sheet में वन भूमि एवं गेर वन भूमि का विवरण पूर्व में ही स्पष्ट कर दिया गया है।
7	प्रस्तुत के बिन्दु संख्या D में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव की औचित्यता के बारे में स्पष्ट नही किया गया है। यूजर ऐजेन्सी द्वारा पूर्व में 9.71 है0 का प्रस्ताव भिजवाने के समय न्यूनतम वन भूमि का प्रमाण पत्र भिजवाया गया था। क्या प्रस्ताव में एक्सटेंशन पूर्व से निर्धारित था। इस सम्बन्ध में यूजर ऐजेन्सी अपनी स्पष्ट टीप्पणी प्रस्तुत करे।	आक्षेप का पूर्व में जवाब दिया गया था। चूंकि पूर्व में बनी हवाई पट्टी को सीधा आगे बढ़ाया जाना है। पूर्व में 9.71 है0 का प्रस्ताव भिजवते समय हवाई पट्टी की लम्बाई 1700 मी. प्रस्तावित थी, वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा इस हवाई पट्टी की लम्बाई 3000 मी. बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है।
8	प्रस्ताव के बिन्दु संख्या K-(i) में प्रयेक्ता अभिकरण द्वारा FRA Certificate में ग्राम सभा कार्यवाही विवरण संलग्न किया गया है इसमें वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही न करके एयर स्ट्रिप एक्सटेंशन की स्वीकृति दी गई है जो उचित नही है। जिला कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र 120.4062 है0 जबकि वर्तमान में आवेदित क्षैत्र 110.6962 है0 है। इसके अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा यूजर ऐजेन्सी सिविल एवियशन डिपार्टमेंट का माना गया है। जबकि प्रस्ताव अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये है। अतः संशोधित किया जाना अपेक्षित है।	जिला कलेक्टर द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत जारी निर्धारित प्रपत्र के प्रमाण पत्र 120.4062 है0 वन भूमि के लिए ही संलग्न है। चूंकि यूजर एजेन्सी सिविल एवियेशन विभाग है एवं कार्यकारी एजेन्सी अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. है। अतः प्रस्ताव अधिशाषी अभियन्ता सा. नि.वि. द्वारा भिजवाये गये है।
9	प्रस्ताव के बिन्दु संख्या L में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि के प्रत्यावर्तन के विरूद्ध गैर वन भूमि दिया जाना प्रस्तावित है। इसमें उप वन संरक्षक द्वारा अतिक्रमण होना अवगत कराया गया है यूजर एजेन्सी जिला कलेक्टर से वार्ता कर अन्य भूमि या उक्त भूमि से अतिक्रमण मुक्त कर भूमि दिलवाने की कार्यवाही करावे एवं उसी भूमि से संबंधित KML file, GT Sheet & DGPS Map दिये जाने प्रस्तावित है।	गैर वन भूमि स्थानान्तरण से पूर्व अतिक्रमण हटवा दिये जावेगें।
10	निम्नानुसार अतिरिक्त सूचनाऐं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी जारी अपेक्षित है।	
	1. प्रस्तावित प्रस्ताव की प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृतियां	आक्षेप का पूर्व में जवाब दिया गया था। प्रस्ताव की प्रशासनिक, वित्तीय स्वीकृति के लिए जिला कलेक्टर महोदय द्वारा उनके पत्र क्रमांक 26 दिनांक 09.01.2017 से राज्य सरकार को लिखा गया है वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति मिलते ही प्रस्ताव की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो जायेगी।

	2. कम्पोनेट अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव की लम्बाई चौड़ाई का विवरण।	आक्षेप का पूर्व में जवाब दिया गया था। कम्पोनेट अनुसार वन भूमि क्षेत्र का Polygon बनाया गया है जिसकी चौड़ाई अलग–अलग जगह पर अलग–अलग है।
	3. बार चार्ट।	आक्षेप का पूर्व में जवाब दिया गया था। साथ में संलग्न है।
	4. प्रस्ताव विवरण।	आक्षेप का पूर्व में जवाब दिया गया था। कोलाना हवाई पट्टी की लम्बाई 1700 मी. से 3000 मी. किया जाना प्रस्तावित हैं
	5. मलवा निस्तारण योजना।	आक्षेप का पूर्व में जवाब दिया गया था। संलग्न है।
	6. पूर्व प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है यूजर ऐजेनसी द्वारा प्रस्ताव में पूर्ण पालना दिनांक 16.12.2016 को भिजवाना अवगत कराया गया है, किन्तु इस कार्यालय को अप्राप्त है।	पूर्व के प्रस्ताव को आपके बिन्दु संख्या 1 अनुसार निरस्त करने का प्रार्थना पत्र प्रेषित कर दिया गया है।
	7. पुराने प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति को निरस्त करने का प्रार्थना पत्र संलग्न किया जाना है।	पुराना प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति निरस्त करने का प्रार्थना पत्र संलग्न है।

भवदीय

(एस.पी. गोयल)
अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड़ झालावाड़

क्रमांकः— 2449 **दिनांकः— 07.02.2017**

श्रीमान उपवन संरक्षक
झालावाड़

विषयः— जिला झालावाड़ के ग्राम कोलाना हवाई पट्टी के निर्माण हेतु 9.71 है. वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

संदर्भः— इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1990 दिनांक 14.12.2016 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम कोलाना हवाई पट्टी के निर्माण हेतु 9.71 है. वन भूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव आपके यहां विचाराधीन है, परन्तु अब कोलाना हवाई पट्टी का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है इसके लिए 110.6962 है. वन भूमि की आवश्यकता है जिसका ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/OTHERS/21735/2016 दिनांक 07.10.2016 को रजिस्टर किया गया था उसमें यह आक्षेप लगाया गया है कि पूर्व के प्रस्ताव 9.71 है. को भी नये प्रस्ताव में शामिल कर लिया जावे। अतः पूर्व के इस प्रस्ताव को निरस्त करने का श्रम करें।

भवदीय

(एस.पी. गोयल)
अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़